



भारत में बढ़ता जल संकट

यह एडिटोरियल 15/09/2022 को 'द हैंडी' में प्रकाशित "India's growing water crisis, the seen and the unseen" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में बढ़ते जल संकट और संबंधित मुद्दों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ:

संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रपोर्ट (United Nations World Water Development Report), 2022 के अनुसार जलधाराओं, झीलों, जलभूतों और मानव-नियमित जलाशयों से ताजे जल (fresh water) की तेज़ी से निकासी के साथ-साथ विश्व भर में आसनन **जल तनाव (Water stress)** और जल की कमी के संबंध में वैश्वकि चति बढ़ती जा रही है। बदलती जलवायु प्रवृत्तियों, बार-बार उभर रही प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों की अचानक तेज़ वृद्धि से यह स्थिति और भी गंभीर होती जा रही है।

5 ट्रिलियन डॉलर की अरथवयवस्था की ओर भारत के संकरमण में सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना सर्वोपराहै। इस प्रयास में जल एक महत्वपूर्ण संसाधन होने की भूमिका रखता है। विश्व की लगभग 17% आबादी का वहन करने वाला भारत विश्व के ताजे जल संसाधनों का मात्र 4% ही रखता है, जो स्पष्ट रूप से इसके विकास पूर्ण उपयोग और कुशल जल जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है।

जल तनाव और जल जोखिम:

- जल तनाव या 'वाटर स्ट्रेस' (Water Stress) की स्थितितिब उत्पन्न होती है जब किसी अवधि में जल की मांग उपलब्ध जल की मात्रा से अधिक हो जाती है या जब जल की खराब गुणवत्ता इसके उपयोग को प्रतिबंधित कर देती है।
 - जल तनाव के घटक:
 - उपलब्धता (Availability)
 - गुणवत्ता (Quality)
 - अभिगम्यता या पहुँच (Accessibility)
- जल जोखिम (Water Risk) बिंदुत जल स्वास्थ्य और अक्षम जल शासन (water governance) के कारण किसी जल नियम के समक्ष उत्पन्न जल-संबंधी चुनौती (जैसे जल की कमी, जल तनाव, बाढ़, अवसंरचना का क्षय, सूखा आदि) की संभावना को संदर्भित करता है।

फाल्केनमार्क इंडिकेटर (Falkenmark Indicator) या वाटर स्ट्रेस इंडेक्स (Water Stress Index):

- यह किसी देश में ताजे जल की कुल मात्रा को उसकी कुल आबादी से सहसंबंध करता है और उस दबाव को इंगति करता है जो आबादी द्वारा ((पारस्थितिक तंत्र की आवश्यकताओं सहित) जल संसाधनों पर डाला जाता है।
- किसी देश में यद्यपि रिव्यूक्ति निवीकरणीय जल की मात्रा—
 - 1,700 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल तनाव (water stress) का सामना कर रहा है।
 - 1,000 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल की कमी (water scarcity) का सामना कर रहा है।
 - 500 घन मीटर से कम हो तो माना जाता है कि वह देश जल की पूर्ण कमी (absolute water scarcity) का सामना कर रहा है।

भारत में जल प्रबंधन की स्थिति

- वर्तमान स्थिति:** भारत विश्व में भूजल का सबसे अधिक नष्टिकरण करता है। यह मात्रा विश्व के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े भूजल नष्टिकरण-करता (चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका) के संयुक्त नष्टिकरण से भी अधिक है।
 - हालाँकि भारत में नष्टिकरण भूजल का केवल 8% ही पेयजल के रूप में उपयोग किया जाता है।
 - इसका 80% भाग सचिरी में उपयोग किया जाता है।

- शेष 12% भाग उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाता है।
- नीति आयोग (NITI Aayog)** के समग्र जल प्रबंधन सुचकांक (Composite Water Management Index) ने भारत में उभरते जल संकट के बारे में आगाह किया है जहाँ देश के 600 मलियन से अधिक लोग जल की गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं।
- यह आकलन भी किया गया है कि विश्व 2030 तक देश की जल मांग उपलब्ध आपूर्ति की तुलना में दोगुनी हो जाएगी।
- संवैधानिक प्रावधान:**
 - मूल अधिकार:** जल मनुष्य के अस्ततिव के लिये मूलभूत आवश्यकता है और भारत के संवैधानिक अधिकार के अनुच्छेद 21 में नहित जीवन के अधिकार का एक अंग है।
 - संघ सूची की प्रविष्टि 56:** केंद्र सरकार अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों को उस सीमा तक वनियमिति और वकिस्ति कर सकती है जहाँ तक संसद द्वारा व्यापक जनहति में इसे उचित निरिधारण किया जाए।
 - राज्य सूची की प्रविष्टि 17:** यह जल आपूर्ति, सचिवाई, नहर, अपवाह, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित है।
 - अनुच्छेद 262:** इसमें कहा गया है कि जल से संबंधित विवादों के मामले में—
 - संसद, विधि द्वारा, कसी अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के या उसमें जल के उपयोग, वतिरण या नविंत्रण के संबंध में कसी विवाद या परविवाद के न्यायनरिण्यन के लिये उपबंध कर सकती है।
 - संसद, विधि द्वारा, उपबंध कर सकती है कि सिर्वोच्च न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे कसी निरिदिष्ट विवाद या परविवाद के संबंध में अधिकारता का प्रयोग नहीं करेगा।

विधिक प्रावधान:

- अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम (Inter-State Water Dispute Act), 1956:** अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम राज्यों को अंतर्राज्यीय सहयोग में मुद्दों को हल करने के लिये एक सलाहकारी नदी बोर्ड (Advisory River Board) की स्थापना कर सकते हैं।
- जल (प्रदूषण निवारण और नविंत्रण) अधिनियम [Water (Prevention and Control of Pollution) Act], 1974:** यह जल गुणवत्ता के मानकों को बनाए रखते हुए जल प्रदूषण के निवारण और नविंत्रण एक संस्थागत संरचना की स्थापना करता है।
 - केंद्रीय प्रदूषण नविंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board- CPCB) एक सांविधिक संगठन है जिसका गठन जल (प्रदूषण निवारण और नविंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत संतिंबर, 1974 में किया गया था।

भारत में जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- ग्रामीण-शहरी संघरष की संभावना:** तीव्र शहरीकरण के परणिमस्वरूप शहरों का तेज़ी से वसितार हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासियों के बढ़े प्रवाह ने शहरों में जल के प्रति विकल्प उपयोग में वृद्धि किया है। इस प्रविश्य में जल की कमी की पूरता के लिये ग्रामीण जल निकायों से शहरी क्षेत्रों में जल स्थानांतरण किया जा रहा है।
 - शहरी क्षेत्रों में जल स्तर की गरिमत को देखते हुए, संभावित है कि भविष्य में कच्चे जल की आपूर्ति के लिये शहर ग्रामीण क्षेत्रों पर अत्यधिक निरिभर होंगे, जो ग्रामीण-शहरी संघरष को जन्म दे सकता है।
- नदी-जल विवाद:** ढाँकभारत की अधिकांश नदियों दो या दो से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं, उनके जल के उपयोग, वतिरण और नविंत्रण के संबंध में विभिन्न राज्यों के बीच विवाद की स्थिति रही है।
 - कुछ प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं:
 - कृष्णा नदी - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना
 - कावेरी नदी - केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी
 - पेरियर नदी - तमिलनाडु, केरल
 - नरसदा नदी - मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान
 - भारत न केवल अपने राज्यों के बीच बल्कि अपने पड़ोसी देशों के साथ भी नदी जल विवादों का सामना करता रहा है। उदाहरण के लिये:
 - ब्रह्मपुत्र नदी - भारत, चीन
 - तीस्ता नदी - भारत, बांग्लादेश
- अप्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन:** अत्यधिक जल-तनाव के प्रविश्य में अपशिष्ट जल का अप्रभावी उपयोग भारत को अपने जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग कर सकने में असमर्थ बना रहा है। शहरों में यह जल मुख्यतः 'ग्रेवाटर' के रूप में पाया जाता है।
 - केंद्रीय प्रदूषण नविंत्रण बोर्ड द्वारा हाल में प्रकाशित एक रपोर्ट (मार्च 2021) के अनुसार, भारत की वर्तमान जल उपचार क्षमता 27.3% और सीधे उपचार क्षमता 18.6% है (जहाँ अतिरिक्त 5.2% क्षमता जोड़ी जा रही है)।
 - लेकिन फरि भी अधिकांश सीधे उपचार संयंत्र अधिकितम क्षमता पर कारबंदी कर रहे हैं और निरिधारण मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
- खाद्य सुरक्षा जोखिम:** फसल और पशुधन उत्पादन के लिये जल आवश्यक है। कृषि संचार के लिये जल का वृहत उपयोग किया जाता है और जल घरेलू उपभोग का भी एक प्रमुख स्रोत है। तेज़ी से गरिमत भूजल स्तर और अक्षम नदी जल प्रबंधन के संयोजन से खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
 - जल एवं खाद्य की कमी के उत्पन्न प्रभाव आधारभूत आजीविका को भेद्य कर सकते हैं और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकते हैं।
- बढ़ता जल प्रदूषण:** घरेलू, औद्योगिक और खनन अपशिष्टों की एक बड़ी मात्रा जल निकायों में बहाई जाती है, जिससे जलजनति रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अलावा, जल प्रदूषण से सुपोषण या यूट्रोफिकेशन (eutrophication) की स्थितिबद्धि हो सकती है जो जलीय पारस्परिक तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है।
- भूजल का अत्यधिक दोहन:** केंद्रीय भूजल बोर्ड के नवीनतम अध्ययन के अनुसार भारत के 700 ज़िलों में से 256 ज़िलों ने गंभीर या अत्यधिक दोहन भूजल स्तर की सूचना दी है।

- अति-निर्भरता और नरिंतर खपत के कारण भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है और इसके परणामस्वरूप कुएँ, पोखर, तालाब आदि सूख रहे हैं। इससे जल संकट गहरा होता जा रहा है।

जल प्रबंधन से संबंधित वर्तमान सरकारी पहलें

- [राष्ट्रीय जल नीति, 2012](#)
- [पर्यावरणमंत्री क्षेत्रीय सचिवाई योजना](#)
- [जलशक्ति अभियान - 'कैच द रेन' अभियान](#)
- [अटल भूजल योजना](#)

आगे की राह

- संवहनीय भूजल प्रबंधन:** भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण एवं घरेलू स्तर पर वर्षा जल संचयन, सतही जल एवं भूजल के संयुक्त उपयोग और जलाशयों के वन्नियमन के लिये एक उपयुक्त तंत्र और ग्रामीण-शहरी एकीकृत परायीजनाओं को आकार देने की आवश्यकता है।
 - इसके अलावा, जल अवसंरचना (कुएँ, बांध, भंडारण टैक, पाइपलाइन आदि) में सुधार करने की भी आवश्यकता है, जो न केवल स्वच्छ जल की बर्बादी को कम करेगा बल्कि उन लोगों की संख्या भी कम होगी जिन्हें प्रतिदिन स्वच्छ जल पाने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।
- 'स्मार्ट' कृषि:** ड्रपि सचिवाई एक प्रभावशाली तकनीक है जो फरो/फलड सचिवाई की तुलना में फसल की पैदावार में 20-50% की वृद्धि करते हुए जल की खपत को 20-40% तक कम कर सकती है।
 - इसके साथ ही, जल की कमी वाले क्षेत्रों में दलहन, बाजरा और तलिहन जैसी कम जल-गहन फसलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहयि।
- नील-हरति अवसंरचना (Blue-Green Infrastructure):** आधुनिक अवसंरचना योजना में नील-हरति तत्वों का संयोजन वाटरशेड प्रबंधन और प्रयावरण अनुकूल अवसंरचना के लिये एक संवहनीय प्राकृतिक समाधान प्रदान करने का एक प्रभावशाली तरीका हो सकता है।
 - नील-हरति अवसंरचना में हरति शब्द उदयानों, पारगम्य फुटपाथ, हरी छतों आदि को इंगति करता है जबकि नील नदियों, नहरों, तालाबों जैसे जल नकारायों और आरदरभूमि को इंगति करता है।
- जल संरक्षण क्षेत्र (Water Conservation Zone):** क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर जल नकारायों की स्थिति के संबंध में बेहतर डेटा अनुशासन और कुशल जल शासन की ओर ध्यान केंद्रित करने और वभिन्न जल संरक्षण क्षेत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- आधुनिक जल प्रबंधन तकनीकों का लाभ उठाना:** सूचना प्रौद्योगिकी को जल-संबंधी डेटा प्रणालियों से जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा, हाल के वर्षों में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की सफलताओं ने ऐसे जल को भी उपयोग के लिये स्वच्छ एवं सुरक्षित बना दिया है जो पहले उपयोग के लिये अनुपयुक्त थे।
 - इस तरह की स्रवाधिकि परयुक्त तकनीकों में इलेक्ट्रोडायलिसिस रविरसल (EDR), डिसिलनाइज़ेशन, नैनोफलिट्रेशन और सोलर एवं यूवी फलिट्रेशन आदि शामिल हैं।

अभ्यास प्रश्न: जल तनाव (Water Stress) क्या है? भारत में जल प्रबंधन से संबंधित वर्तमान चुनौतियों की चर्चा कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, पछिले वर्ष के प्रश्न (PYQ)

?/?/?/?/?/?/?/?/?:

प्रश्न.1 नमिनलखिति में से कौन सा प्राचीन शहर बाँधों की एक शृंखला बनाकर और जुड़े जलाशयों में पानी को प्रवाहित करके जल संचयन और प्रबंधन की वसित्तु प्रणाली के लिये जाना जाता है? (2021)

- (A) धौलावीरा
- (B) कालींगा
- (C) राखीगढ़ी
- (D) रोपङ्ग

उत्तर: (A)

प्रश्न.2 'वाटर क्रेडिट' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचार कीजिये: (2021)

- यह जल और स्वच्छता क्षेत्र में काम करने के लिये सूक्ष्म वित्ति उपकरण स्थापित करता है।
- यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वावधान में शुरू की गई एक वैश्वकि पहल है।
- इसका उद्देश्य गरीब लोगों को सबसिडी पर नरिभर किये बनाए उनकी पानी की ज़्यूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाना है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

- (A) केवल 1 और 2
- (B) केवल 2 और 3
- (C) केवल 1 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

प्रश्न:

प्रश्न.1 जल संरक्षण और जल सुरक्षा के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए जल शक्तिअभियान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं? (2020)

प्रश्न.2 घटते परिवेश के तहत जल भंडारण और सचिाई प्रणाली में इसका विकास प्रयोग करने के लिये सुधार के उपाय सुझाइए। (2020)

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/growing-water-stress-in-india>

